पन्ना लाल चौधरी बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 13/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/150

द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई एवं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकोर्ड दुरस्ती करने का निवेदन किया।

निवेदन प्रार्थी का सूना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा मौजा जायल के खाता संख्या 243 के खसरा नम्बर 1927 रकबा 1.4650 तथा खाता संख्या 888 के ख.न.1922 रकबा 1.8535, ख.न. 1926 रकबा 1.7321 व ख.न. 3413/1555 रकबा 0.0324, में दर्ज पन्नाराम पुत्र खेताराम के स्थान पन्ना लाल चौधरी पुत्र खेता राम चौधरी शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज प्रार्थी 1. के आधार कार्ड नम्बर 2890 8839 9952 में प्रार्थी का नाम पन्ना लाल चौधरी पुत्र खेता राम चौधरी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदी एवं अप्रार्थी सं.1 राजपैरोकार ने जवाब अनुसार पन्नाराम पुत्र खेताराम के स्थान पर पन्ना लाल चौधरी पुत्र खेता राम चौधरी किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह ताईद होता है कि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं राजस्व रिकोर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकोर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकोर्ड दुरस्ती से सुलभता रहेगीं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा जायल के खाता संख्या 243 के खसरा नम्बर 1927 रकबा 1.4650 तथा खाता संख्या 888 के ख.न.1922 रकबा 1.8535, ख.न. 1926 रकबा 1.7321 व ख.न. 3413/1555 रकबा 0.0324 में दर्ज पन्नाराम पुत्र खेताराम के स्थान पर पन्ना लाल चौधरी पुत्र खेता राम चौधरी दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : <u>आदेशः</u> : : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। मौजा जायल के खाता संख्या 243 के खसरा नम्बर 1927 रकबा 1.4650 तथा खाता संख्या 888 के ख.न.1922 रकबा 1.8535, ख.न. 1926 रकबा 1.7321 व ख.न. 3413/1555 रकबा 0.0324**, में दर्ज नाम** पन्नाराम पुत्र खेताराम **के स्थान पर** पन्ना लाल चौधरी पुत्र खेता राम चौधरी **दुरूस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है।** तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 14/08/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner